<u>न्यायालय -अपर जिला न्यायाधीश, नोखा जिला बीकानेर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी: मुकेश कुमार प्रथम (आरजे 00693)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

नम्बरी दीवानी प्रकरण संख्या - 43/2022 (101/2020)
सीआईएस नंबर- 97/2018

गणपत सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी गांव हिंयादेसर, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

वादी

बनाम

शंकर सिंह पुत्र जगमाल सिंह निवासी गांव हिंयादेसर, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

प्रतिवादी

दावा बाबत निरस्त कराने गोदनामा

उपस्थिति:-
1. विद्वान अधिवक्ता श्री विनायक चितलंगी - वादी की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री किशनगोपाल - प्रतिवादी की ओर से।

- निर्णय- दिनांक- 21.11.2025

1. हस्तगत वाद बाबत् निरस्त करवाने गोदनामा का माननीय जिला न्यायालय, बीकानेर के समक्ष दिनांक 12.07.2018 को प्रस्तुत किये जाने पर जिला न्यायालय, बीकानेर द्वारा उक्त वाद न्यायालय- अपर जिला न्यायाधीश संख्या 05, बीकानेर के यहां अन्तरित किया गया जो कालांतर में दिनांक 27.07.2022 को अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी गांव हिंयादेसर के स्थाई निवासी हैं। वादी के पिता प्रताप सिंह व जगमाल सिंह, लखु सिंह उर्फ लेखुराम तीन भाई हुए। वादी प्रताप सिंह का पुत्र है। प्रतिवादी जगमाल सिंह का पुत्र है। वादी व प्रतिवादी आपस में चचेरे भाई है। वादी के पिता प्रताप सिंह व प्रतिवादी के पिता जगमाल सिंह व प्रताप सिंह, जगमाल सिंह के सगे भाई लेखुराम उर्फ लखु सिंह के कोई संतान नहीं थी। लेखुराम उर्फ लखु सिंह का स्वर्गवास काफी अर्सा पूर्व हो गया जिनकी पत्नी का नाम मथरा था जिनका भी स्वर्गवास दिनांक 27.01.2005 को हो चुका है। वाद प्रस्तुति से कुछ दिन पूर्व स्व.कान सिंह की जमीन, सम्पत्तियों बाबत् बातचीत होने पर प्रतिवादी शंकर सिंह ने जाहिर किया कि उसको स्व.मथरा देवी पत्नी लेखुराम उर्फ लेखु सिंह के द्वारा जरिये गोदनामा गोद लिया। प्रतिवादी शंकर सिंह के द्वारा गोदनामा की प्रति भी दिखाई जो गोदनामा दिनांक 25.02.1997 को उपपंजीयक नोखा के समक्ष पुस्तक संख्या 03, जिल्द संख्या 10 पृष्ठ संख्या 117 पर पंजीबद्ध था जिसकी प्रमाणित प्रति प्रतिवादी ने वादी को दी। प्रतिवादी शंकर सिंह के द्वारा मथरा से करवाया गया गोदनामा जो उपपंजीयक नोखा के समक्ष हस्ताक्षरित व निष्पादित होना बताया जो उपपंजीयक नोखा के समक्ष दिनांक 25.02.1997 को पंजीबद्ध है। ऐसा गोदनामा फर्जी, कूटरचित, बनावटी है। ऐसे गोदनामे के आधार पर प्रतिवादी को कोई हक हिस्सा, हकूक, उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा गोदनामा मथरा देवी पत्नी लेखुराम उर्फ लखु सिंह के द्वारा उपपंजीयक के समक्ष जाकर हस्ताक्षरित व निष्पादित नहीं किया। उक्त गोदनामा पर मथरा देवी के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी फर्जी व कूटरचित है जिसको निष्पादित करने के लिये मथरा देवी कभी भी उपपंजीयक कार्यालय नोखा नहीं गई। दिनांक 25.02.1997 को प्रतिवादी शंकर सिंह पुत्र जगमाल सिंह के पिता जगमाल सिंह व उनकी पत्नी सिरिया देवी अर्थात् शंकर सिंह के प्राकृतिक माता-पिता जिन्दा थे परन्तु उक्त गोदनामा दिनांक 25.02.1997 पर शंकर सिंह के प्राकृतिक पिता जगमाल सिंह व प्राकृतिक माता सिरिया देवी के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि उनकी सहमति के बिना कोई गोदनामा हस्ताक्षरित व निष्पादित नहीं हो सकता। गोदनामा के दिन प्राकृतिक माता-पिता के जिन्दा होने पर मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर उनकी सहमति के बिना गोद की रस्म निष्पादित नहीं की जा सकती और न ही गोद दिया जा सकता है। दिनांक 25.02.1997

को मथरा देवी की उम्र 70 वर्ष थी, उस दिन उसकी मानसिक व शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह गोदनामा हस्ताक्षरित व निष्पादित कर सके। स्व.मथरा देवी बीमार थी, मानसिक रूप से अस्वस्थ थी जिस कारण वह गोद लेने व देने में सक्षम नहीं थी। गोदनामा दिनांक 25.02.1997 में गोद की रस्म कब अदा की गई, धार्मिक अनुष्ठान कब किया गया, किस दिन गोद दिया गया, लिया गया, गोद देने हेतु शंकर सिंह के माता-पिता की उपस्थिति में कोई रस्म अदा की गई हो, ऐसा गोदनामा में उल्लेख नहीं है जिनके अभाव में कोई गोदनामा निष्पादित नहीं किया जा सकता। वास्तविक रूप से किसी प्रकार की गोद लेने व देने की प्रक्रिया नहीं हुई, न ही ऐसे गोद लेने व देने की रस्म का किसी भाट के यहां या सरकारी रिकार्ड में कहीं अंकन है। ऐसे गोदनामा के आधार पर शंकर सिंह को मथरा देवी या लेखुराम उर्फ लेखु सिहं की सम्पत्तियों में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रतिवादी शंकर सिंह वर्तमान में भी सरकारी अभिलेखों, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटरलिस्ट व अन्य सरकारी दस्तावेजों में अपने वास्तविक पिता जगमाल सिंह व माता सिरिया देवी के नामों का ही उल्लेख कर रहा है तथा अपने माता-पिता के रूप में उन्हीं के नाम का अंकन कर रहा है। गोदनामा हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेंटीनेन्स एक्ट 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे का गोदनामा नहीं किया जा सकता। विवाहित का भी गोदनामा नहीं किया जा सकता। दिनांक 01.07.2018 को प्रतिवादी शंकर सिंह द्वारा पारिवारिक बैठक में सम्पत्तियों बाबत् बंटवारा किये जाने के बाबत् बातचीत के दरमियान उक्त गोदनामा की प्रमाणित प्रति दी गई जिसको देखने पर वादी को वाद कारण हांसिल हुआ। अंत में आवश्यक अभिवचन करते हुए प्रतिवादी शंकर सिंह के हक में निष्पादित वादग्रस्त गोदनामा दिनांक 25.02.1997 को अपास्त/निरस्त करते हुए उक्त गोदनामा कूटरचित, फर्जी होने से उसके आधार पर प्रतिवादी शंकर सिंह को मथरा देवी से कोई अधिकार हित प्राप्त नहीं होने की डिक्री जारी किये जाने तथा अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे, दिलवाये जाने का निवेदन किया।

2. प्रतिवादी की ओर से वादी के वादपत्र में वर्णित अभिकथनों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा इस प्रकार पेश किया गया कि वादी का वाद नॉन-मेन्टेनेबल है, जिसको वाद लाने का कोई लोकस स्टेण्डाई

नहीं है। स्व.मथरा देवी पत्नी लखुराम उर्फ लखु सिंह ने अपने वंश को चलाने के लिये प्रतिवादी को विधिवत् रूप से गोद लिया जिस संबंध में गोदनामा का दस्तावेज तैयार किया गया जिस पर साक्षियों की उपस्थिति में मथरा देवी ने सोच समझकर पंजीयन कार्यालय में उपपंजीयक की उपस्थिति में अपनी अंगूठा निशानी की। जो दस्तावेज विधिनुसार दिनांक 25.02.1997 को उपपंजीयक कार्यालय नोखा में पंजीबद्ध किया गया जिस पर विशन सिंह पुत्र जसवंत सिंह के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है। गांव हिंयादेसर के तमाम लोगों व तमाम रिश्तेदारों को यह जानकारी भलिभांति है कि लखु सिंह का वंश चलाने के लिये मथरा देवी ने प्रतिवादी को गोद लिया है। प्रतिवादी ने ही मथरा देवी की अंतिम समय तक सेवा चाकरी की और उनका तमाम क्रियाकर्म भी पुत्र होने के नाते सम्पन्न किया जिसका इन्द्राज समाज के भाट द्वारा उसकी बही में किया गया। प्रतिवादी द्वारा ग्राम पंचायत हिंयादेसर में ग्राम की आबादी भूमि में जमीन लेने के दस्तावेज में पिता के रूप में लखु सिंह का नाम दर्ज है। यह भूखण्ड मथरा देवी के नाम से था। मथरा देवी की मृत्यु के बाद इस जायदाद को प्रतिवादी ने अपने नाम नवीनीकरण करवाया जिसका पटटा नवीनीकरण उपपंजीयक कार्यालय नोखा में पंजीबद्ध है। ग्राम पंचायत, हिंयादेसर द्वारा प्रतिवादी को ही मथरा देवी व लखुराम का दत्तक पुत्र मानते हुए सरपंच द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया। ग्राम हिंयादेसर के पटवार क्षेत्र नोखा गांव में मथरा देवी बेवा लखुराम की कृषि भूमि है जिसमें मथरा देवी खातेदार है। उक्त भूमि में प्रतिवादी द्वारा आवेदन करने पर मथरा देवी के वारिस के रूप में विरासतान इन्तकाल दर्ज हुआ जो दिनांक 20.09.2010 को स्वीकृत हुआ तथा अन्य पुश्तैनी जायदाद में भी इस गोदनामे के आधार पर शंकरलाल दत्तक पुत्र मथरा देवी व लखुराम के रूप् में दर्ज है जिसकी जानकारी वादी को शुरू से ही थी। प्रतिवादी के तमाम सरकारी दस्तावेज में पिता के स्थान पर लखु सिंह उर्फ लखुराम का नाम दर्ज है। समाज के पंचों द्वारा भी शंकर सिंह के पक्ष में लखुराम के पुत्र होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया। बीकानेर में यह प्रथा है कि गोद लिये जाने वाला पुत्र या पुत्री किसी भी उम्र का हो सकता है। ऐसी सूरत में हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेन्टीनेंस एक्ट, 1956 से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते। प्रतिवादी शंकर सिंह को दत्तक लेने से संबंधित दस्तावेज रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध दस्तावेज है। गोद लिये जाने वाली रस्मों को इस दस्तावेज के तहरीर व तकमील होने के बाद गांव में

सामाजिक खाना/भोज किया गया जिसमें वादी व उसका परिवार भी शामिल हुए। गोद लेने की रस्म में गोद लेना व देना भी किया जिसमें शंकर सिंह के प्राकृतिक माता-पिता भी उपस्थित थे जिन्होंने ही इस रस्म को पूरा किया। शंकर सिंह के प्राकृतिक माता-पिता शंकर सिंह को गोद देने के लिये सहमत थे। बीकानेर में खोलानामा में किसी भी रस्म की आवश्यकता नहीं है फिर भी समाज में प्रचलित परम्पराओं का निर्वाह करते हुए धार्मिक अनुष्ठान वगैरा किये गये। मथरा देवी एक स्वस्थचित्त हिन्दू नारी थी जिसके पति की मृत्यु अर्सा पूर्व हो चुकी थी जिस कारण वह दत्तक लेने का अधिकार रखती थी जिसने इसी अधिकार के अनुसार अपने जेठ के पुत्र को दत्तक लिया। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। अंत में आवश्यक अभिवचन करते हुए वादी का वाद भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक कायम किए गएः-

1- आया गोदनामा दिनांक 25.02.1997 फर्जी, कूटरचित व बनावटी है?

वादी

2- आया गोदनामे में शंकर सिंह के प्राकृतिक पिता जगमाल सिंह व प्राकृतिक माता सिरिया देवी के हस्ताक्षर नहीं है, प्राकृतिक माता-पिता की सहमति के बिना गोदनामा हस्ताक्षरित व निष्पादित नहीं करवाया जा सकता?

वादी

3- आया प्रतिवादी शंकर सिंह अपने सरकारी अभिलेखों में वास्तविक पिता जगमाल सिंह व माता सिरिया देवी के नामों का उल्लेख कर रहा है, जिस कारण यह गोदनामा अपास्त किये जाने योग्य है?

वादी

4- आया पन्द्रह वर्ष से अधिक के बच्चे का गोदनामा नहीं किया जा सकता, जिस कारण भी गोदनामा निरस्त किये जाने योग्य है?

वादी

5- आया मथरा देवी एक स्वस्थचित्त हिन्दू महिला थी, जिसके पति की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, जिस कारण वह गोद लेने में सक्षम थी?

प्रतिवादी

6- आया वादी द्वारा इतनी लम्बी अवधि के बाद दावे को पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है?

प्रतिवादी

7- अनुतोष?

4. उपरोक्त विवाद्यकों की पुष्टि में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू-1 गणपत सिंह को पेश कर परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में गोदनामा प्रदर्श-1, लखु सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श-2, वादी द्वारा न्यायालय में टाईपशुदा एक अन्य गोदनामा की प्रति प्रदर्श-3, मथरा देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श -4 एवं फोटोग्राफ प्रदर्श-5 लगायत 7 पेश कर प्रदर्शित करवाये। इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डीडब्ल्यू-1 शंकर सिंह, डीडब्ल्यू-2 जेठमल पुरोहित, डीडब्ल्यू-3 अर्जुन सिंह, डीडब्ल्यू-4 श्रीराम, डीडब्ल्यू-5 मनु सिंह, डीडब्ल्यू-6 विशन सिंह, डीडब्ल्यू-7 शिव सिंह को पेश कर परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में शंकर सिंह का राशनकार्ड प्रदर्श ए-1, मथरा देवी की कृषि भूमि उसकी मृत्यु के बाद सन 2010 में नामान्तरण दर्ज होने की प्रति प्रदर्श ए-2, पटटा प्रदर्श ए-3 की प्रति प्रदर्श ए-3ए, शंकर सिंह दत्तक पुत्र लखु सिंह के नाम नवीनीकरण पंजीयन पटटा प्रदर्श ए-4 की प्रति प्रदर्श ए-4ए, राव भाट द्वारा मथरा देवी की मृत्यु के बाद बही में शंकर सिंह को गोदपुत्र मानने का लेखन प्रदर्श ए-5, बिजली का बिल प्रदर्श ए-6, भेंट राशि की प्राप्ति रसीद प्रदर्श ए-7, बिजली बोर्ड का विद्युत री-कनेक्शन आदेश प्रदर्श ए-8, बिजली बोर्ड नोखा का तखमीना प्रदर्श ए-9, (सहबन से दो बार अंकित) शंकर सिंह का आधारकार्ड प्रदर्श ए-9, ग्राम पंचायत हिंयादेसर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श ए-10, गोदनामा प्रदर्श ए-11, गांव के पंचान द्वारा प्रतिवादी को लखु सिंह का दत्तक पुत्र मानने की लिखापढ़ी प्रदर्श ए-12, प्रतिवादी के परिवार की जनआधार स्लिप प्रदर्श ए-13, प्रताप सिंह के वारिसान की जमाबंदी प्रदर्श ए-14, पटटे के आधार पर गंगा सिंह को

भूमि बेचने के दस्तावेज प्रदर्श ए-15 की प्रति प्रदर्श ए-15ए पेश कर प्रदर्शित करवाये।

11. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी के तर्क हैं कि हस्तगत मामले में जो गोदनामा है, वह तथ्य की दृष्टि से एवं विधि की दृष्टि से पूर्णतया अवैध है। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अध्याय-2 की धारा-5 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि हिन्दुओं में दत्तक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् इस अधिनियम में वर्णित उपबंधों के अनुसार ही किये जायेंगे और उपबंधों के उल्लंघन में किया गया दत्तक शून्य होगा।

इसी अधिनियम की धारा-11(vi) में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि *दत्तक लिये जाने अपत्य सम्पृक्त जनकों या संरक्षक और या उसके प्राधिकार के अधीन में अपत्य के कुटुम्ब से जहां वह जन्मा है अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में या ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जानकारी ज्ञात नहीं है, उस स्थान या कुटुम्ब से जहां वह पला है, उसे दत्तक लेने वाले कुटुम्ब में उसे अन्तरित करने के आशय से वस्तुतः दिया और लिया जायेगा।*

इस प्रकार विधिमान्य दत्तक की यह आवश्यक शर्त है कि अपत्य को उसके जनकों द्वारा विधितः व वस्तुतः दत्तक लेने वाले कुटुम्ब में सौंपा जायेगा लेकिन हस्तगत मामले में जो गोदनामा पत्रावली में पेश है, उसमें प्रतिवादी शंकर सिंह को वस्तुतः गोद दिया और लिया नहीं गया है, इस कारण उक्त दत्तक शून्य है।

गोदनामा के जो गवाह हैं, वे गवाह गोदनामा के विपरीत कथन अपने मुख्य परीक्षण में करते हैं तथा शिव सिंह के हस्ताक्षर जो गोदनामा के लिये खरीदा गया स्टाम्प था, उसकी पुश्त पर अलग हैं तथा गोदनामा की लिखापढ़ी पर अलग हैं। इससे भी स्पष्ट है कि केवल छल करने के आशय से कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया है। शिव सिंह न्यायालय में भी परीक्षित हुआ है, जिससे उक्त प्रश्न भी पूछा गया लेकिन उसने चतुराईपूर्वक दोनों ही हस्ताक्षर स्वयं के होने बताये है। जबकि हस्ताक्षरों को देखने से ही यह स्पष्ट दर्शित हो रहा है कि स्टाम्प की पुश्त पर हस्ताक्षर और लिखापढ़ी पर शिव सिंह के जो हस्ताक्षर हैं, वे भिन्न-भिन्न हैं।

गोदनामा में गोद देने वाले व्यक्तियों का उल्लेख नहीं है अर्थात् शंकर सिंह के नैसर्गिक माता-पिता का उल्लेख नहीं है, न ही उनके हस्ताक्षर हैं। शंकर सिंह स्वयं गोद नहीं जा सकता जबकि गोदनामा के अनुसार शंकर सिंह स्वयं गोद गया है जिससे गोदनामा विधितः शून्य है।

प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि गोदनामा के समय उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक थी तथा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा-10 के अनुसार पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति प्रचलित रूढ़ी या प्रथा के अलावा दत्तक नहीं दिया जा सकता। वादी व प्रतिवादी दोनों राजपुरोहित समाज के हैं, जिनके समाज में ऐसी कोई रूढ़ी व प्रथा नहीं है कि पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति गोद दिया जा सके। इस कारण भी गोदनामा शून्य है।

प्रतिवादी शंकर सिंह इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि गोद के समय उसका विवाह हो चुका था और उसकी स्वयं की दो संतान भी थी। ऐसे में जब उसकी शादी हो चुकी थी, उसके स्वयं की दो संतानें थी तो ऐसा व्यक्ति हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा-10(iii) के अनुसार गोद विधितः नहीं लिया जा सकता। इस कारण भी उक्त गोदनामा शून्य है।

प्रतिवादी तथाकथित गोद के समय विवाहित था और उसकी स्वयं की संतानें थी, गोद से पूर्व उसकी पत्नी की सहमति नहीं ली गई, न ही उसकी संतानों की सहमति ली गई और न ही कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा प्रतिवादी पक्ष ने साबित की जिससे यह दर्शित हो कि राजपुरोहित समाज में पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु एवं विवाहित व्यक्ति को गोद लिये जाने की प्रथा हो। इस कारण गोदनामा शून्य है।

वादी के अधिवक्ता के यह भी तर्क है कि अपने जवाबदावा में व साक्ष्य में प्रतिवादी पक्ष ने यह कथन किया कि गोदनामा निष्पादित होने के पश्चात् उन्होंने दत्तक लेने व देने की कार्यवाही की अर्थात् गोदनामा निष्पादित होने के पश्चात् यदि कोई कार्यवाही की है, तो उससे पूर्ववर्ती निष्पादित गोदनामा अपास्त होने योग्य है क्योंकि पश्चातवर्ती कार्यवाही से पूर्ववर्ती गोदनामा वैध नहीं हो सकता।

गोदनामा जो पत्रावली में प्रस्तुत हुआ है, वह दो प्रतियों में है, एक हस्तलिखित है, एक टंकित है, जिसमें गोद दिये जाने की दिनांक

रिक्त है। इस कारण भी गोदनामा वैध नहीं है तथा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय पेश कियेः-

AIR 1959 SC 504

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वैध दत्तक ग्रहण के लिये यह आवश्यक है कि अधिनियम द्वारा जो शर्तें दत्तक पर लगाई गई हैं, उन शर्तों की पूर्णतया पालना की जाये अन्यथा ऐसा दत्तक ग्रहण शून्य है।

AIR 1961 SC 1378

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10(iii) के तहत जो आयु स्वयं निर्योग्यता है, वह बाध्यकारी है जब तक कि कोई उचित प्रथा या रूढ़ी अभिवचित करके साबित नहीं की गई हो।

2008(13) SCC 119

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि रूढ़ी प्रचलित सामान्य कानूनों का अपवाद होती है और उनको कठोरता से साबित किया जाना चाहिए।

AIR 1952 SC 231

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को रूढी व प्रथाओं की उपधारणा नहीं करनी चाहिए बल्कि रूढ़ी या प्रथा को साबित करने का भार उस पक्षकार पर होता है जो उसके अस्तित्व का अभिवचन करता है।

2001(4) SCC 117

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां कोई दस्तावेज लिखित में है और उसमें प्रचलित कानूनों के अपवादों का वर्णन नहीं है, ऐसी स्थिति में अभिकथित रूढ़ी या प्रथा की विश्वसनीयता कमजोर होती है।

2024:RJ-Jd:19225

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां गोद लिये जाने के समय गोद जाने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो और कोई विशेष रूढ़ी या प्रथा साबित नहीं की गई हो तो हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण

अधिनियम, 1956 की धारा-10(iv) के प्रावधानानुसार पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के बालक का दत्तक ग्रहण वैध नहीं है।

2025:RJ-Jd:11588

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा-10 व 16 के तहत दत्तक की विधिमान्य शर्तें पूरी नहीं होती है, वहां दत्तक वैध नहीं है।

अंत में वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

12. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी के तर्क हैं कि वादी को गोदनामा को चुनौति देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि गोदनामा को चुनौति केवल दत्तक देने वाले माता-पिता या दत्तक लेने वाले माता-पिता ही दे सकते हैं। अजनबी व्यक्ति को गोदनामा को चुनौति देने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। इस कारण वादी का वाद लोकस स्टेण्डाई नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

इसके साथ ही परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद-57 के अनुसार दत्तक ग्रहण की जानकारी होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर ही दत्तक ग्रहण को चुनौति दी जा सकती है। हस्तगत मामले में वादी ने स्वयं की तरफ से जो प्रदर्श-3 दस्तावेज प्रदर्शित करवाया है, उक्त दस्तावेज दिनांक 02.07.2010 को नोटेरी पब्लिक, जोधपुर द्वारा सत्यापित है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2010 में ही वादी को गोदनामा की जानकारी हो गई थी एवं यह भी तथ्य है कि जब गोद लिया गया था तब दिनांक 25.02.1997 को भी वादी के परिवारजनों को और वादी को गोद की जानकारी थी लेकिन उन्होंने उस समय गोदनामा को चुनौति नहीं दी। ऐसे में अब वह गोदनामा को चुनौति नहीं दे सकता। इस कारण वाद खारिज किया जावे।

वादी ने अपने वादपत्र में जो अनुतोष चाहा है, उसके अनुसार गोदनामा निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है, जबकि गोदनामा निरस्त केवल गोदनामा के पक्षकार ही करवा सकते हैं, अन्य किसी व्यक्ति को गोदनामा को निरस्त करवाने का अधिकार नहीं है। वादी गोदनामा को शून्य घोषित करवाने का दावा ला सकता था जिसके लिये घोषणात्मक दावा जरूरी था जिस घोषणात्मक अनुतोष को नहीं चाहने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के यह भी तर्क हैं कि वादी व प्रतिवादी दोनों बीकानेर क्षेत्र के निवासी हैं और पूर्व में जब बीकानेर रियासत थी तब रियासतकालीन समय में बीकानेर में पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व विवाहित व्यक्ति को गोद लेने व देने की रूढ़ी व प्रथाऐं प्रचलित थी, इस कारण दिया गया गोद विधिमान्य है तथा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय पेश कियेः-

AIR 1991 SC 1180

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा-10 के तहत जहां किसी क्षेत्र विशेष में रूढ़ी व प्रथाऐं किसी भी आयु के व्यक्ति के दत्तक ग्रहण को मान्यता देते हैं तो ऐसा दत्तक विधितः भी मान्यता प्राप्त होगा। इसके साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई प्रथा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, वहां उस प्रथा को प्रत्येक मामले में अलग से साबित करना आवश्यक नहीं है।

D.B.Civil First Application No.33/1952 निर्णय दिनांक 02.02.1954 अनवान हरलाल बनाम महादेव

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बीकानेर क्षेत्र में विधवा द्वारा लिया गया दत्तक वैध है एवं पति की सहमति वहां आवश्यक नहीं है।

WLN (UC) 1977 P.42

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बीकानेर क्षेत्र में दत्तक लिये जाने के लिये समारोह आयोजित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि बिना समारोह आयोजित किये दत्तक लेने की प्रथा बीकानेर क्षेत्र में प्रचलित है, उसके लिये दत्तक होम किया जाना आवश्यक नहीं है।

S.B.Civil Writ Petition No.1417/2015 निर्णय दिनांक 14.02.2018

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां पक्षकारों के मध्य लागू होने वाली रूढ़ी और प्रथा पन्द्रह वर्ष से अधिक की आयु के बालकों के दत्तक को मान्यता देती है तो ऐसा दत्तक विधि मान्य है।

2015(2) DNJ (Raj.) 643

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां पक्षकारों के मध्य प्रचलित रूढ़ी व प्रथाओं में पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के पुत्र का गोद लिये जाने का तथ्य है तो ऐसा गोदनामा वैध है।

2022(4) DNJ (Raj.) 1337

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां रीति-रिवाजों के अनुसार पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को गोद लेना साबित हो तो ऐसा गोदनामा विधिमान्य है।

RLW 1956 P.553

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर वाद लाने का अधिकार नहीं मिल जाता कि किसी अमुक व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति में उसे अधिकार प्राप्त होगा। वास्तविक वाद कारण उत्पन्न होने पर ही वाद लाया जा सकता है, केवल सम्भावनाओं के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता।

Docid#indlawlib/593937

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा-16 के तहत किसी भी अजनबी व्यक्ति द्वारा दत्तक विलेख को इस आधार पर चुनौति नहीं दी जा सकती कि वह धोखा देकर प्राप्त किया गया था, दत्तक विलेख को केवल प्राकृतिक माता-पिता द्वारा, दत्तक माता-पिता द्वारा और दत्तक व्यक्ति द्वारा ही चेलेन्ज किया जा सकता है, जो दत्तक माता-पिता की मृत्यु के बाद किया जा सकता है।

(2018) 4 Civ.C.C. 408

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दत्तक की लिखित यदि रजिस्टर्ड है तो उसका साक्षियों की उपस्थिति में सत्यापित होना आवश्यक नहीं है बल्कि किसी भी एक निष्पादक या लेखक को पेश कर दिया जावे और दस्तावेज रजिस्टर्ड हो तो ऐसे दस्तावेज के सत्य होने की उपधारणा की जाती है। साथ ही इस सम्माननीय न्यायिक

विनिश्चय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्राकृतिक माता एवं दत्तक माता की सहमति वास्तविक दत्तक के समय लिया जाना आवश्यक है तथा दत्तक के पश्चात् जो याददाश्त लिखी जाती है, उस समय सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है।

1997(Suppl.) Civil Court Cases 564 AP

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय आंधप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां दत्तक विलेख दत्तक पिता द्वारा हस्ताक्षरित था और दत्तक माता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था, केवल इस मात्र से दत्तक विलेख अग्राह्य नहीं हो जाता। मौखिक साक्ष्य से भी वास्तविक दत्तक लेने-देने और दत्तक के समय माता-पिता की सहमति को साबित किया जा सकता है।

2001(3) Civil Court Cases 622 SC

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां किसी साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अनेक तथ्यों के बारे में वर्णन किया हो और किसी विशेष तथ्य के संबंध में उसका प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया हो तो वह तथ्य साबित माना जाता है।

(2025) 2 Civ.C.C. 565

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दत्तक विलेख की जानकारी होने के पश्चात् विहित अवधि के भीतर उसको चुनौति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मौखिक साक्ष्य द्वारा भी दत्तक समारोह आयोजित करने और दत्तक विलेख निष्पादित करने की साक्ष्य दी जा सकती है।

WLN 1970 Part-Ist P.41 बअनवानी कन्हैयालाल एवं जमनादास बनाम गौरीशंकर एवं अन्य

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बीकानेर राज्य क्षेत्र में प्रथागत दत्तक ग्रहण जिसे खोला के नाम से जाना जाता है, वह प्रचलित है और ऐसा दत्तक ग्रहण वैध है।

RLW 1955 P.124

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बीकानेर क्षेत्र में दत्तक ग्रहण का रूढ़ीवादी स्वरूप खोला प्रचलित है और स्वीकृत है।

इसी प्रकरण में रमणलाल बनाम श्रीमती नंदन के वाद का संदर्भ दिया हुआ है जो कि बीकानेर स्टेट के समय की न्यायिक समिति द्वारा दिया गया था जिसमें पक्षकार बीकानेर के ब्राहमण थे जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु 1926 में हो गई जिसके पीछे कोई पुरूष वारिस नहीं था और उसकी पुत्री ने अपने पिता की सम्पत्ति में कोई हक हिस्सा नहीं मांगा, तब वादी ने अपने आपको मृतक का दत्तक पुत्र बताया और मृतक की विधवा के साथ दावा दायर किया जो वाद स्वीकार किया गया जिसमें खोलानामा को दत्तक के समान माना गया। इसी सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय के पैरा संख्या 07 में यह भी वर्णित है कि समारोह के साथ विवाहित व्यक्ति का लिया गया दत्तक भी रूढ़ी के तहत मान्य है।

WLN (UC) 1977 P.42

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बीकानेर क्षेत्र में बिना समारोह आयोजित किये खोला की प्रथा वैध है अर्थात् दत्तक स्वीकार्य है।

AIR 1958 Raj.186 (v.45 c.63)

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्व के बीकानेर राज्य में जाट समाज में जब किसी विवाहित व्यक्ति को गोद दिया जाता था और उसके गोद जाने से पूर्व पुत्र भी उत्पन्न हो जाता था तो ऐसा पुत्र अपने पिता के साथ गोद के परिवार में नहीं जाता है तथा उसके पिता का गोद वाले गौत्र भी नहीं मिलता है, न ही पिता के गोद वाली सम्पत्ति मिलती है बल्कि गोद जाने से पूर्व उसके पिता की जो नैसर्गिक माता-पिता की गौत्र थी, वही गौत्र उस पुत्र की होती है और वहीं से वह सम्पत्ति प्राप्त करता है जबकि इसी सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय के पैरा संख्या 16 में यह वर्णित है कि पूर्व की बीकानेर स्टेट में जहां जोशी ब्राहमण पक्षकारों का मामला है, वहां पूर्व की बीकानेर न्यायिक समिति ने निसंदेह रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि जोशी ब्राहमण में बीकानेर में ऐसी प्रथा है कि दत्तक से पूर्व यदि किसी विवाहित व्यक्ति के पुत्र है और उसके पुत्र के उत्पन्न होने के पश्चात् वह पिता गोद जाता है तो उस गोद के साथ-साथ उसका पुत्र भी नये परिवार में गोद चला जाता है और अपने नैसर्गिक परिवार के संबंध में सारे अधिकार खो देता है।

अंत में वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

13. उभय पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः-

14. **<u>तनकी संख्या 01</u>**

आया गोदनामा दिनांक 25.02.1997 फर्जी, कूटरचित व बनावटी है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था जिसके संबंध में वादी पीडब्ल्यू-1 गणपत सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया कि वह गांव हिंयादेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर का निवासी है। उसके पिता प्रताप सिंह थे जो कुल तीन भाई थे। अन्य दो भाई जगमाल सिंह व लखू सिंह थे। वादी प्रताप सिंह का पुत्र है और प्रतिवादी जगमाल सिंह का पुत्र है, आपस में चचेरे भाई है। लखू सिंह उर्फ लेखराम के कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी का नाम मथरा था। लेखराम उर्फ लखू सिंह का स्वर्गवास काफी समय पहले हो गया और उनकी पत्नी मथरा का स्वर्गवास भी दिनांक 27.01.2005 को हो गया। दावा दायरी से कुछ दिन पूर्व सम्पत्ति के बारे में बातचीत होने पर प्रतिवादी शंकर सिंह ने जाहिर किया कि उसे मथरा देवी ने गोद ले लिया था और गोदनामा की प्रति भी दिखाई जो गोदनामा दिनांक 25.02.1997 को उपपंजीयक नोखा के समक्ष पुस्तक संख्या 03, जिल्द संख्या 10, पृष्ठ संख्या 117 पर पंजीबद्ध था जिसकी प्रमाणित प्रति प्रतिवादी ने वादी को दी जो गोदनामा कूटरचित व बनावटी है। ऐसा गोदनामा मथरा देवी ने उपपंजीयक के समक्ष जाकर हस्ताक्षरित एवं निष्पादित नहीं किया है। गोदनामा पर मथरा देवी के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी फर्जी है व कूटरचित है। मथरा देवी कभी उपपंजीयक कार्यालय नोखा में नहीं गई।

अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि गोदनामा पर मथरा देवी की अंगूठा निशानी कूटरचित व फर्जी है। यह बात वह स्वयं बोल रहा है। उसे किसी अन्य ने नहीं बताई। आगे साक्षी ने कथन किया कि मथरा देवी के अंगूठा निशानी कूटरचित व फर्जी है, यह साक्षी इस आधार पर कह रहा है क्योंकि साक्षी को बिशन सिंह, जो गोदनामा का गवाह है, ने बताया था। इसके पश्चात् आगे साक्षी ने कथन किया कि बिशन सिंह ने साक्षी को अपने अंगूठा निशानी फर्जी होना नहीं बताये थे बल्कि बिशन सिंह ने मुकदमा करने के बाद कहा कि गोदनामा में उसकी अर्थात् बिशन सिंह की गवाही है और उसने अंगूठा किया था। साक्षी ने

आगे कथन किया कि गोदनामा में शिव सिंह के हस्ताक्षर असली है या फर्जी, उसे पता नहीं। मथरा देवी के अंगूठा निशानी फर्जी होने के संबंध में साक्षी ने कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की, न ही एफएसएल करवाई। आगे साक्षी ने कथन किया कि मथरा देवी आंखों से अंधी थी, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मथरा देवी मानसिक रूप से स्वस्थ थी लेकिन वृद्ध थी। मथरा देवी का अस्पताल में ईलाज नहीं चल रहा था।

अपने प्रतिपरीक्षण में आगे साक्षी ने कथन किया कि मथरा देवी जब जिन्दा थी तब गोदनामा को उन्होंने चुनौति नहीं दी। स्वयं कहा कि उन्हें गोदनामा का पता नहीं था। आगे कथन किया कि उसे पता नहीं कि गोदनामा कब किया और गोदनामा के बाद मथरा देवी कितने साल जिन्दा रही। **आगे कथन किया कि मथरा देवी ने गोदनामा 25.02.1997 को करवाया था।** मथरा देवी की मौत 2005 में हुई थी। साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने इस गोदनामा को मथरा देवी की मौत के तेईस साल बाद चुनौति दी फिर कहा गणना में भूल हो सकती है। मथरा देवी की मृत्यु के बारह साल बाद दावा पेश किया। बारह साल तक कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी। साक्षी ने कथन किया कि बिशन सिंह पुत्र जसवंत सिंह राजपुरोहित जो अभी जिन्दा है, उसने साक्षी को बताया था कि गोदनामा प्रदर्श ए-1 फर्जी है। आगे साक्षी ने कथन किया कि उसे जानकारी नहीं है कि मथरा देवी ने गोदनामा सही करवाया था या नहीं, क्योंकि वह मौका पर मौजूद नहीं था। साक्षी ने आगे इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने यह दावा मथरा देवी की सम्पत्ति लेने के लिये किया है। स्वयं कहा कि उसमें साक्षी का हक है।

इस प्रकार पीडब्ल्यू-1 गणपत सिंह की मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र व प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट है कि दिनांक 25.02.1997 को जो विवादित गोदनामा निष्पादित करवाया गया, उस गोदनामा को साक्षी ने फर्जी व कूटरचित बिशन सिंह के कहने से माना और जब गोदनामा हुआ उस समय मथरा देवी मानसिक रूप से स्वस्थ थी और उसका कोई ईलाज नहीं चल रहा था। इन तथ्यों को साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है।

जहां तक साक्षी ने मथरा देवी का आंखों से अंधी होने का कथन किया है। साक्षी ने ऐसा कथन न तो अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में वर्णित किया, न ही दावा के अभिवचनों में यह तथ्य वर्णित किया

कि मथरा देवी आंखों से अंधी थी। ऐसे में अभिवचनों के विपरीत प्रतिपरीक्षण में जो तथ्य साक्षी ने बताये हैं, उन तथ्यों का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है। साक्षी ने गोदनामा पर मथरा देवी के अंगूठा निशानी के संबंध में किसी प्रकार की कोई एफएसएल जांच करवाये जाने का कोई निवेदन नहीं किया, न ही कोई पुलिस कार्यवाही की बल्कि साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य भी कथन किया कि मथरा देवी ने गोदनामा दिनांक 25.02.1997 को करवाया था।

गोदनामा प्रदर्श-1 के साक्षी डीडब्ल्यू-6 बिशन सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किया कि दिनांक 25.02.1997 को गांव हिंयादेसर से नोखा में मथरा देवी पत्नी लेखराम उर्फ लखू सिंह, शंकर की जाईन्दा माता सिरिया देवी व पिता जगमाल सिंह, शंकर सिंह, शिव सिंह पुत्र जगमाल सिंह तथा बिशन सिंह स्वयं नोखा आये थे और मथरा देवी ने अपने वंश को चलाने के लिये शंकर सिंह को विधिवत् रूप से गोद लिया था। जिस गोदनामा का दस्तावेज तैयार किया था जिस पर साक्षी के रूप में साक्षी बिशन सिंह व शिव सिंह की उपस्थिति में मथरा देवी ने उपपंजीयक कार्यालय में अपनी अंगूठा निशानी लगाई थी जो दस्तावेज पंजीकृत किया गया था और गोदनामा दिनांक 25.02.1997 फर्जी, कूटरचित व बनावटी नहीं है। साक्षी ने कथन किया कि दिनांक 25.02.1997 को शंकर सिंह पुत्र जगमाल सिंह राजपुरोहित को गोद लेने हेतु मथरा देवी ने लिखापढ़ी करवाई थी जो प्रदर्श-11 है जिस पर साक्षी की अंगूठा निशानी है और मथरा देवी की भी अंगूठा निशानी है और शिव सिंह के हस्ताक्षर हैं। अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि वह अंगूठा छाप है। मथरा देवी का देहांत हुआ तब उनकी आयु 70 वर्ष थी। गोदनामा से एक सप्ताह पहले बातचीत हुई थी। बातचीत पूरे परिवार में हुई थी जो गोद लेने व देने दोनों पक्षों के बीच हुई थी। कागजी कार्यवाही में भी दोनों पक्ष उपस्थित थे। गोदनामा पर गोद लेने व देने वाले दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद उसने अपना अंगूठा लगाया था। न्यायालय के विनम्र मत में उक्त साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के अनुसार ही अंगूठाछाप अर्थात् निरक्षर है जिसकी यद्यपि गोदनामा पर अंगूठा निशानी है और साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि गोदनामा पर गोद लेने व देने वाले दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए थे। यहां न्यायालय के विनम्र मत में साक्षी का दोनों पक्षों से आशय मथरा देवी व शंकर सिंह से है क्योंकि विवादित

गोदनामा पर मथरा देवी व शंकर सिंह के अलावा साक्षियों के ही हस्ताक्षर हैं लेकिन साक्षी ने गोदनामा पर किसी प्रकार के कोई फर्जी हस्ताक्षर होने का कथन नहीं किया है।

प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी डीडब्ल्यू-7 शिव सिंह जिसके कि गोदनामा पर हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि शंकर सिंह को बचपन में चेचक की बीमारी हो गई थी तो मथरा देवी ने उसकी विशेष देखभाल की थी। चेचक की बीमारी के कारण उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, जब मथरा देवी 70 साल की हो गई, तब उसने शंकर सिंह के प्राकृतिक माता-पिता सिरिया देवी व जगमाल सिंह व परिवारजन, रिश्तेदारों से परामर्श एवं सहमति प्राप्त कर शंकर सिंह को गोद लेने का निश्चय किया और दिनांक 25.02.1997 को मथरा देवी हिंयादेसर से साक्षी के साथ व शंकर सिंह के नैसर्गिक माता-पिता सिरिया देवी व जगमाल सिंह, बिशन सिंह एवं शंकर सिंह के साथ नोखा आई और जहां गोदनामा का दस्तावेज साक्षियों की उपस्थिति में पंजीकृत करवाया जो उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकृत है। मथरा देवी ने अपने स्वस्थ चित्त व स्वतंत्र सहमति से शंकर सिंह को गोद लिया था और उस दिन शाम को गोदनामा की रस्म रखी थी जिसमें परिवार, समाज व गांव के व्यक्ति मौजूद रहे। दत्तक ग्रहण के समय सभी रीति-रिवाजों का पालन किया गया। अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि शंकर सिंह व गणपत सिंह का विवाह एक साथ हुआ था। वे उन दोनों के विवाह में गई थी। साक्षी ने यह भी कथन किया कि वह पढ़ना-लिखना जानता है। साक्षी ने आगे कथन किया कि प्रदर्श ए-11 पर उसके हस्ताक्षर मथरा देवी ने जो गोदनामा करवाया, तब करवाये थे। साक्षी ने प्रदर्श ए-11 पर ए से बी व सी से डी दोनों ही हस्ताक्षर स्वयं के बताये और उनमें भिन्नता नहीं होनी बताई और प्रदर्श ए-11 देखकर साक्षी ने कहा कि सिरिया देवी व जगमाल सिंह ने शंकर सिंह को मथरा देवी को गोद में दिया और मथरा देवी ने लिया। साक्षी ने प्रदर्श ए-11 पर मथरा देवी की अंगूठा निशानी होनी बताई। सिरिया देवी व जगमाल सिंह के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी नहीं होनी बताई। इस प्रकार विवादित गोदनामा के साक्षी डीडब्ल्यू-6 बिशन सिंह व अन्य मौतबिर साक्षी डीडब्ल्यू-7 शिव सिंह ने गोदनामा पर मथरा देवी की अंगूठा निशानी उनके सामने उपपंजीयक कार्यालय में करवाने का कथन किया है और वादी गणपत सिंह ने जिस बिशन सिंह के कथनानुसार गोदनामा फर्जी

हेाना बताया, वह बिशन सिंह स्वयं डीडब्ल्यू-6 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ, जिसने विवादित गोदनामा पर मथरा देवी की ही अंगूठा निशानी होनी बताई। ऐसे में इन समस्त तथ्यों को देखते हुए वादी इस तनकी को साबित करने में विफल रहा है। अतः यह तनकी संख्या 01, वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

15. **<u>तनकी संख्या 02</u>**

आया गोदनामे में शंकर सिंह के प्राकृतिक पिता जगमाल सिंह व प्राकृतिक माता सिरिया देवी के हस्ताक्षर नहीं है, प्राकृतिक माता-पिता की सहमति के बिना गोदनामा हस्ताक्षरित व निष्पादित नहीं करवाया जा सकता?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था जिसके संबंध में वादी पीडब्ल्यू-1 गणपत सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया कि दिनांक 25.02.1997 को जो गोदनामा हस्ताक्षरित व निष्पादित होना बताया गया है, उस पर प्रतिवादी शंकर सिंह के प्राकृतिक पिता जगमाल सिंह व प्राकृतिक माता सिरिया देवी के जिन्दा होने के बावजूद गोदनामा पर हस्ताक्षर नहीं है, इस कारण से प्राकृतिक माता-पिता की सहमति के बिना कोई भी गोदनामा हस्ताक्षरित व निष्पादित नहीं किया जा सकता। प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में साक्षी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, न ही कोई सुझाव दिया गया। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा-11(vi) के अनुसार-

"दत्तक लिया जाने वाला अपत्य सम्पृक्त जनकों या संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुम्ब से जहां वह जन्मा हो अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में या ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जानकारी ज्ञात न हो, उस स्थान या कुटुम्ब से जहां वह पला हो, उसका दत्तक लेने वाले कुटुम्ब में उसे अन्तरित करने के आशय से वस्तुतः दिया और लिया जायेगा।

परन्तु दत्तक होमम का किया जाना किसी दत्तक की विधिमान्यता के लिए आवश्यक नहीं होगा।"

इस प्रकार जिस बालक को गोद दिया जाता है, वहां वास्तविक रूप से उसके नैसर्गिक माता-पिता द्वारा गोद लिये जाने वाले माता-पिता को दिया और गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा लिया जाना चाहिए अर्थात् माता-पिता की सहमति होनी चाहिए। हस्तगत मामले में

जो गोदनामा प्रदर्श-1 पत्रावली पर है, उसमें केवल दो ही पक्षकार हैं, जिसमें प्रथम पक्षकार मथरा देवी है और द्वितीय पक्षकार शंकर सिंह पुत्र जगमाल सिंह है, जो प्रतिवादी है एवं गोदनामा की पृष्ठ संख्या 01 पर जो इबारत लिखी है कि-

> ''चूंकि मुकिरा (दत्तक ग्रहिता माता) अपने वंश को चलाने तथा वृद्धावस्था में सहारे के लिए दत्तक पुत्र गोद लेने की इच्छुक है। और इसी उददेश्य से श्री शंकर सिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपुरोहित निवासी हिंयादेसर (जो कि मुकिरा का भतीजा/जेठुता है) बात की, जो मुकिरा के गोद आने को सहमत है एतएव लेख्यपत्र साक्ष्यांकित करती हूं''

इस प्रकार गोदनामा की इबारत से स्पष्ट है कि प्रतिवादी शंकर सिंह को उसके नैसर्गिक माता-पिता ने गोद नहीं दिया बल्कि प्रदर्श-1 के अनुसार शंकर सिंह स्वयं गोद आने को सहमत हुआ और यहां यह तथ्य भी स्वीकृत है कि दिनांक 25.02.1997 को जिस दिन गोदनामा निष्पादित हुआ था, उस दिन प्रतिवादी शंकर सिंह के नैसर्गिक माता-पिता जिन्दा थे एवं विधि की दृष्टि में जब नैसर्गिक माता-पिता जिन्दा हैं तो उनकी सहमति के बगैर किया गया दत्तक वैध नहीं होता है।

यद्यपि प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्षी डीडब्ल्यू-1 शंकर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया कि मथरा देवी ने उसके प्राकृतिक माता-पिता जगमाल सिंह व सिरिया देवी तथा परिवारजन व रिश्तेदारों से परामर्श एवं सहमति प्राप्त करके गोद का निश्चय किया था तथा दिनांक 25.02.1997 को गोदनामा करवाने के लिये नोखा में मथरा देवी के साथ साक्षी के जाईन्दा माता-पिता सिरिया देवी व जगमाल सिंह भी आये थे लेकिन सिरिया देवी व जगमाल सिंह के गोदनामा प्रदर्श-1 पर हस्ताक्षर नहीं है, न ही गोदनामा प्रदर्श-1 में यह उल्लेख है कि शंकर सिंह को उसके नैसर्गिक माता-पिता की सहमति से गोद दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब डीडब्ल्यू-1 शंकर सिंह का प्रतिपरीक्षण किया गया तो इस साक्षी ने यह बताया कि उसके माता-पिता ने उसे गोद दिया था जो लिखकर गोद नहीं दिया, मौखिक रूप से गोद दिया था जबकि गोदनामा प्रदर्श-1 लिखित है। साक्षी

ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कथन किया कि उसकी नैसर्गिक माता सिरिया देवी ने तहसील में आकर कहा था कि मुझे गोद दे दिया है, लेकिन गोदनामा पर सिरिया देवी के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त कथन स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यदि सिरिया देवी गोदनामा करवाने आती तो गोदनामा प्रदर्श-1 में इस संबंध में लिखित में भी उल्लेख रहता और उसके हस्ताक्षर भी करवाये जाते।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से स्वयं प्रतिवादी व अन्य साक्षियों ने स्पष्ट कथन किये कि गोदनामा निष्पादित करने की दिनांक 25.02.1997 को दस्तावेज के निष्पादन के पश्चात् शाम को गांव में गोद की रस्म रखी गई थी और वस्तुतः गोद लिया व दिया था लेकिन प्रतिवादी पक्ष ऐसा कथन नहीं करता कि गोदनामा निष्पादित होने के पूर्व गोद की कोई रस्म हुई हो और गोद वस्तुतः लिया और दिया हो। ऐसे में स्पष्ट है कि जिस क्षण गोदनामा निष्पादित हुआ, उस समय वस्तुतः प्रतिवादी शंकर सिंह के नैसर्गिक माता-पिता ने दत्तक माता मथरा देवी को शंकर सिंह को गोद नहीं दिया था। इस प्रकार जो प्रश्नगत दस्तावेज गोदनामा है, उसके निष्पादन के समय तक वस्तुतः प्रतिवादी को गोद दिया व लिया नहीं था, इस कारण उक्त् गोदनामा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा-11(iv) के अनुसार विधिनुसार नहीं है। यद्यपि बीकानेर के तत्कालीन राज्यक्षेत्र में यह प्रथा कि खोलानामा के लिये कोई रस्म होना आवश्यक नहीं है लेकिन वस्तुतः गोद लिया और दिया जाना आवश्यक था। जिस आवश्यक तत्व की पूर्ति उक्त प्रश्नगत गोदनामा के निष्पादन तक नहीं होने के कारण उक्त गोदनामा विधि की दृष्टि में कोई प्रभाव नहीं रखता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि वादी ने उक्त वाद गोदनामा केा अपास्त/निरस्त किये जाने का पेश किया है, जबकि वादी गोदनामे में पक्षकार नहीं था लेकिन अनुतोष भी सम्पूर्ण वादपत्र के समग्र अध्ययन के आधार पर ही तय होता है। ऐसे में चाहे लिखित में वादी ने गोदनामा को शून्य करने का अनुतोष न लिखा हो लेकिन अपास्त करने व निरस्त करने का लिखा है और यह भी लिखा है कि इस गोदनामे से मथरा देवी से प्रतिवादी को कोई अधिकार व हित प्राप्त नहीं हुए और पूर्ण न्यायशुल्क पर वादपत्र पेश किया गया। ऐसे में वादी इस तनकी को साबित करने में सफल रहा है। अतः यह तनकी संख्या 02, वादी के पक्ष में तय की जाती है।

16. **<u>तनकी संख्या 03</u>**

आया प्रतिवादी शंकर सिंह अपने सरकारी अभिलेखों में वास्तविक पिता जगमाल सिंह व माता सिरिया देवी के नामों का उल्लेख कर रहा है, जिस कारण यह गोदनामा अपास्त किये जाने योग्य है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था जिसके संबंध में वादी पीडब्ल्यू-1 गणपत सिंह अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन करता है कि प्रतिवादी शंकर सिंह वर्तमान में भी सरकारी अभिलेखों- आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटरलिस्ट व अन्य सरकारी दस्तावेजों में अपने वास्तविक पिता जगमाल सिंह व माता सिरिया देवी के नामों का ही उल्लेख कर रहा है। ऐसी सूरत में उसका गोदनामा निरस्त किये जाने योग्य है लेकिन साक्षी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया जो शंकर सिंह की पहचान का हो और जिसमें प्रतिवादी शंकर सिंह के पिता का नाम जगमाल सिंह व माता का नाम सिरिया देवी अंकित हो जबकि इसके विपरीत डीडब्ल्यू-1 शंकर सिंह ने अपने परिवार की जनआधार स्लिप प्रदर्श ए-13 को प्रदर्शित करवाया जिस प्रदर्श ए-13 का अवलोकन करें तो उसमें शंकर सिंह की माता का नाम मथरा कंवर व पिता का नाम लेखू सिंह उर्फ लख सिंह लिखा है, जिसके अनुसार सरकारी दस्तावेज में शंकर सिंह के नैसर्गिक माता-पिता का नाम अंकित नहीं है। इसके अलावा रजिस्ट्री प्रदर्श ए-15ए को भी प्रतिवादी शंकर सिंह ने प्रदर्शित करवाया जिसमें भी शंकर सिंह के पिता का नाम लेखू सिंह वर्णित है। अपना आधार कार्ड प्रतिवादी शंकर सिंह ने प्रदर्श ए-9 प्रदर्शित करवाया जिसमें भी शंकर सिंह के पिता का नाम लेख सिंह वर्णित है। विद्युत विभाग से कनैक्शन संबंधी रसीद कटवाई उसमें भी प्रतिवादी शंकर सिंह के पिता का नाम लेख सिंह वर्णित है जो प्रदर्श ए-8 है। वर्ष 2018 की श्री गुरूदेव चांदमल सेवा समिति में कटवाई गई दान की रसीद में भी शंकर सिंह के पिता का नाम लेखू सिंह वर्णित है जो प्रदर्श ए-7 है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा जारी बिल प्रदर्श ए-6 है जो 01 जनवरी 2024 का है, जिसमें भी शंकर सिंह के पिता का नाम लेखू सिंह वर्णित है। ऐसे में वादी ने अपने मौखिक तर्कों के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जबकि प्रतिवादी ने अपने सरकारी दस्तावेजों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत की जिसमें उसके पिता का नाम लेखू सिंह उर्फ लेख सिंह वर्णित है। ऐसे में

वादी इस तनकी को साबित करने में विफल रहा है। अतः यह तनकी संख्या 03, वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

17. **<u>तनकी संख्या 04</u>**

आया पन्द्रह वर्ष से अधिक के बच्चे का गोदनामा नहीं किया जा सकता, जिस कारण भी गोदनामा निरस्त किये जाने योग्य है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था जिसके संबंध में वादी पीडब्ल्यू-1 गणपत सिंह अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन करता है कि पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे का गोदनामा नहीं किया जा सकता। विवाहित व्यक्ति का भी गोदनामा नहीं किया जा सकता। साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछा गया कि बीकानेर रियासत में जो गोद की प्रथा या चाल-चलन है, वही उसके गांव में है, तो साक्षी ने स्वीकार किया और कथन किया कि उनमें प्रथाओं के अनुसार गोद लेने की प्रथा चल रही है जिसकी रस्म साक्षी को पता है। साक्षी ने कथन किया कि उसे पता है कि पहले पूरे परिवार को बिठाकर विचार-विमर्श किया जाता है, फिर जो गोद ले रहा है, उससे पूछा जाता है कि आप किसको गोद लेना चाहते हो, उसके बाद मुनादी होती है, गांव में ढोल बजाकर गांववालों को इक्टठा किया जाता है, गुड़ बांटने की रस्म होती है, पण्डित को बुलाकर उसकी गोद में बच्चे को बिठाते हैं, वंश का राव आता है तथा बही में लिखाया जाता है, स्वयं कहा कि जिसकी उम्र 10 से 15 वर्ष होती है, उसी को गोद लिया जाता है, बड़े ज्ञानी समझदार आपस में लड़ते हैं, इसलिए नाबालिग को ही गोद लिया जाता है अर्थात् साक्षी ने पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के गोद जाने की कोई प्रथा नहीं बताई। उक्त् कथन साक्षी ने स्वयं किये थे, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया बल्कि अब साक्षी से प्रथा के बारे में पूछा गया तब साक्षी ने उक्त तथ्य बताये।

इस संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो गवाह परीक्षित हुए, उनमें डीडब्ल्यू-1 शंकर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया कि बीकानेर में पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है व शादीशुदा व्यक्ति को भी गोद लिया जा सकता है, इस कारण हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसी तरह डीडब्ल्यू-2 जेठमल ने भी अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया कि बीकानेर में पन्द्रह वर्ष से

अधिक आयु के व्यक्ति को व शादीशुदा व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है और बीकानेर में खोलानामा की कोई रस्म होना भी आवश्यक नहीं है।

इसी तरह डीडब्ल्यू-3 अर्जुन सिंह ने मौखिक कथन किये हैं और डीडब्ल्यू-5 मनु सिंह ने भी मौखिक कथन किये है।

जो सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष की ओर से हस्तगत मामले में AIR 1991 SC 1180 पेश किया गया है, जिसमें यह वर्णित है कि जहां न्यायिक रूप से कोई प्रथा पूर्व में साबित है, उसको पृथक से साबित करने की आवश्यकता नहीं है तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय RLW 1955 P.124 में बीकानेर रियासतकालीन न्यायिक समिति ने तत्कालीन समय में पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु व विवाहित जोशी ब्राहमण व्यक्ति के खोलानामा को वैध माना था। राजपुरोहित समाज भी ब्राहमण वर्ग के अन्तर्गत आता है तथा जहां न्यायिक रूप से कोई प्रथा पूर्व से स्वीकृत है, उसको अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में बीकानेर क्षेत्र में ब्राहमण समाज पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु व विवाहित व्यक्ति के गोद जाने की रूढ़ी व प्रथा प्रचलित होने की कानूनी विधिमान्यता विद्यमान है। हस्तगत मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो गवाह परीक्षित हुए, उनमें गवाह डीडब्ल्यू-2 जेठमल पुरोहित ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि मथरा देवी ने शंकर सिंह को गोद दिया था, गुड़ बांटा था, छोटा-मोटा भोज किया था तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों ने यह कथन किया था कि गोद के समय प्रतिवादी शंकर सिंह के नैसर्गिक माता-पिता ने सहमति दी थी। डीडब्ल्यू-6 विशन सिंह ने यह कथन किया कि गोदनामा से एक सप्ताह पहले बातचीत हुई थी जो दोनों परिवारों में बातचीत हुई थी तथा अन्य गवाहान ने भी जिस दिन गोदनामा पंजीकृत हुआ, उस दिन शाम को गोद की रस्में होने का कथन किया है। स्वयं वादी पीडब्ल्यू-1 गणपत सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि मथरा देवी की मृत्यु के पश्चात् गंगाजी फूल लेकर शंकर सिंह गया था, दो आदमी उसके साथ गये थे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मथरा देवी के फूल गंगाजी में शंकर सिंह ने अर्पण किये थे। यह भी कथन किया कि गंगाजी में जो पण्डा पुरोहित बही में अंकन करते हैं, वो सही करते हैं। यह भी कथन किया कि शंकर सिंह ने जब यह क्रियाकर्म किये तो परिवार के सभी सदस्य सहमत थे, उनकी सहमति से किये थे। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि नारायण

सिंह राव वर्तमान में उनका बहीभाट है तथा प्रदर्श ए-5 दस्तावेज को देखकर कहा कि उसे इसका पता नहीं चल रहा। प्रदर्श ए-5 के ए से बी भाग ''शंकर सिंह वल्द लखू सिंह .. गंगाजी में प्रवेश किये गये'' सुनकर कहा उसे स्वीकार है लेकिन सी से डी भाग जिसमें गोद पुत्र शब्द लिखा है, उस पर उसे आपत्ति है। अर्थात् जहां शंकर सिंह के पिता का नाम लखू सिंह वल्द कान सिंह लिखा हुआ है, उस तथ्य को लेकर साक्षी को आपत्ति नहीं है लेकिन गोदपुत्र लिखने वाले शब्द को लेकर आपत्ति है। जिसके संबंध में जो मुख्य कारण है, उसका भी जब साक्षी को प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिया गया तो साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने यह दावा मथरा देवी की सम्पत्ति लेने के लिये किया है जिसमें उसका हक है। अर्थात् दावे का मूल उददेश्य मथरा देवी की सम्पत्ति लेना ही है। इस प्रकार पत्रावली पर जो साक्ष्य आई है, उसके अनुसार गोदनामा निष्पादित होने के पश्चात् शाम के समय शंकर सिंह को मथरा देवी द्वारा उसके नैसर्गिक माता-पिता द्वारा गोद देने से गोद लिया गया और रस्म भी हुई लेकिन गोदनामा निष्पादित होने के समय तक गोद की कोई रस्में नहीं हुई तथा हस्तगत मामले में गोदनामे को ही चुनौति दी गई है तथा यह स्पष्ट है कि गोदनामा निष्पादित होने के समय तक विधिवत् गोद शंकर सिंह को नहीं दिया गया। ऐसे में वादी इस तनकी को साबित करने में विफल रहा है। अतः यह तनकी संख्या 04, वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

18. **<u>तनकी संख्या 05</u>**

आया मथरा देवी एक स्वस्थचित्त हिन्दू महिला थी, जिसके पति की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, जिस कारण वह गोद लेने में सक्षम थी?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था जिसके संबंध में प्रतिवादी डीडब्ल्यू-1 शंकर सिंह अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन करता है कि लेखराम उर्फ लखू सिंह का वंश चलाने के लिये मथरा देवी ने उसे गोद लिया था। दिनांक 25.02.1997 को गोदनामा लिखवाकर पंजीकृत करवाया गया और उसी दिन शाम को ग्राम हिंयादेसर में मथरा देवी पत्नी लेखराम उर्फ लखू सिंह ने गोदनामा की रस्में रखी जिसमें गोदनामा मुताबिक विधि-विधान ग्रहण कर लिया गया। उस समय सभी रीति-रिवाजों का पालन किया गया। साक्षी के मुख्य

परीक्षण में यह भी उल्लेखित है कि मथरा देवी एक स्वस्थचित्त हिन्दू नारी थी, उनके पति की मृत्यु अर्सापूर्व हो चुकी थी, इस कारण वह दत्तक लेने की अधिकारी थी। अपने प्रतिपरीक्षण में भी इस साक्षी ने स्पष्ट कथन किया कि मथरा देवी गोद के समय 70 वर्ष की थी उनकी कोई दवाईयां नहीं चल रही थी। साफ-साफ दिखाई देता था। इस संबंध में वादी पीडब्ल्यू-1 गणपत सिंह का जब प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया तब इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि मथरा देवी अंधी थी और उन्हें दिखाई नहीं देता था लेकिन साक्षी ने अपने दावा में या मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में ऐसा कोई अभिवचन नहीं किया कि मथरा देवी अंधी थी, ऐसे में उक्त तथ्य स्वीकार्य नहीं है। आगे साक्षी ने स्पष्ट कथन किया कि मथरा देवी मानसिक रूप से स्वस्थ थी उसका कोई ईलाज नहीं चल रहा था। ऐसे में स्पष्ट है कि मथरा देवी स्वस्थचित्त महिला थी और जिस समय का दत्तक ग्रहण है, उस समय उसका पति जीवित नहीं था। ऐसे में विधिनुसार पक्षकारों की आयु व प्रास्थिति को देखते हुए मथरा देवी को गोद लेने का अधिकार था। ऐसे में प्रतिवादी इस तनकी को साबित करने में सफल रहा है। अतः यह तनकी संख्या 05, प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

19. **<u>तनकी संख्या 06</u>**

आया वादी द्वारा इतनी लम्बी अवधि के बाद दावे को पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था जिसके संबंध में प्रतिवादी डीडब्ल्यू-1 शंकर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया कि शंकर सिंह दिनांक 25.02.1997 को ही मथरा देवी लेखराम उर्फ लेखू सिंह के गोद चला गया जिसकी जानकारी शुरू से वादी को थी व है, परन्तु वादी द्वारा इतनी लम्बी अवधि के बाद वाद पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में वादी पीडब्ल्यू-1 गणपत सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया कि दिनांक 01.07.2018 को प्रतिवादी शंकर सिंह के द्वारा परिवार बैठक में सम्पत्ति बाबत् बंटवारानामा किये जाने के बाबत् बातचीत के दौरान गोदनामा की प्रमाणित प्रति दी जिसको देखने पर वादी को यह वाद पेश करने का वाद कारण हांसिल हुआ और गोदनामा की जानकारी हुई जो सर्वप्रथम दिनांक 01.07.2018 को हुई। जानकारी से उसने अन्दर

मियाद दावा पेश कर दिया। अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि दावा दिनांक 01.07.2018 को न्यायालय में पेश किया। गोदनामा उसने बीकानेर से निकलवाया जिसका प्रार्थना पत्र वकील ने दिया था। गोदनामा की प्रमाणित प्रति निकलवाने के लिये कितने रूपये की रसीद कटवाई यह वकील ही जानता है। कितने रूपये दिये उसे याद नहीं। साक्षी ने कथन किया कि उसने तो मुकदमे की पूरी फीस दी थी। आगे कथन किया कि उसे शंकर सिंह ने गोदनामा बताया था तब उसने कोर्ट में मुकदमा किया। गोदनामा उसके वकील ने निकलवाकर प्रमाणित प्रति लाकर पेश की, उसके साथ स्टाम्प की रसीद लगी है या नहीं, उसे पता नहीं। पत्रावली देखकर गवाह ने कथन किया कि स्टाम्प व रसीद पत्रावली में नहीं है। साक्षी ने कथन किया कि वकील साहब ने दावा करने के लिये गोदनामा निकलवाया था। आगे साक्षी ने कथन किया कि उसने मथरा देवी के नाम से जमाबंदी 2018 में देखी थी, उससे पहले नहीं देखी। मथरा देवी के नाम का कोई पटटा साक्षी, न तो देखना बताता है, न ही सुनना बताता है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने 2018 से पहले मथरा देवी के नाम जमाबंदी व पटटा नहीं देखा अर्थात् प्रतिवादी पक्ष भी यह स्वीकार करता है कि इस साक्षी ने वर्ष 2018 से पहले मथरा देवी के नाम का कोई पटटा व जमाबंदी नहीं देखी। साक्षी ने प्रदर्श ए-2 दस्तावेज नामान्तरण की भी जानकारी नहीं होनी बताई। यह कथन किया कि नामान्तरण चढ़ा, तब उसने एतराज नहीं किया। स्वयं कहा कि उस समय उसे पता ही नहीं था। साक्षी ने प्रदर्श ए-3 पटटा की जानकारी नहीं नहीं होनी बताई, न ही पंचायत द्वारा जारी पत्र प्रदर्श ए-4 की जानकारी होनी बताई।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि वादी ने जो प्रदर्श-3 दस्तावेज गोदनामा प्रदर्शित करवाया है, वह नोटेरी पब्लिक, जोधपुर द्वारा दिनांक 02.07.2010 को प्रमाणित है, इस आधार पर प्रतिवादी पक्ष का यह कहना है कि उक्त दिनांक 02.07.2010 को ही गोदनामा की जानकारी वादी को हो गई थी लेकिन वादी ने परिसीमा अवधि बीत जाने के बाद यह वाद पेश किया है लेकिन न्यायालय के विनम्र मत में प्रदर्श-3 दस्तावेज वादी को वर्ष 2010 में प्राप्त हो गया हो, इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, कोई दस्तावेज केवल नोटेरी से जिस दिन प्रमाणित हुआ, उसी दिन वादी की जानकारी में आ गया, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उक्त दस्तावेज जो पूर्व में नोटेरी से

प्रमाणित है, बाद की स्थिति में भी दूसरे वाले पक्षकार की जानकारी में आ सकता है। प्रथम दृष्टया ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादी को वर्ष 2018 से पूर्व इस वाद वर्णित गोदनामा की जानकारी हो गई हो। ऐसे में प्रतिवादी इस तनकी को साबित करने में विफल रहा है। अतः यह तनकी संख्या 06, प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

20. **<u>तनकी संख्या 07-</u>** अनुतोष?

चूंकि वादी तनकी संख्या 01, 03 व 04 को साबित करने में विफल जबकि तनकी संख्या 02 को साबित करने में सफल रहा है तथा प्रतिवादी, तनकी संख्या 05 को साबित करने में सफल रहा है जबकि तनकी संख्या 06 को साबित करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

21. परिणामतः वाद वादी गणपत विरूद्ध प्रतिवादी शंकर सिंह बाबत् निरस्त करवाने गोदनामा एतदद्वारा आंशिक स्वीकार किया जाकर गोदनामा दिनांक 25.02.1997 को विधिनुसार नहीं होने के कारण शून्य घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जावे।

(मुकेश कुमार-प्रथम)

22. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार-प्रथम)